

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

प्रमुख शासन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश क्रमांक प.अ(1)वि-5/10547/ जयपुर दिनांक 24-6-2013 की पालना में निदेशात्मक माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आरटीई प्रकोष्ठ का गठन तत्काल प्रभाव से किया जाता है।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) नोडल अधिकारी तथा उप निदेशक माध्यमिक इस प्रकोष्ठ के ग्रुप अधिकारी होंगे। सहायक निदेशक माध्यमिक इस प्रकोष्ठ के अनुभाग अधिकारी होंगे।
यह प्रकोष्ठ माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत संघर्षित विद्यार्थियों से आरटीई के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त कर संघर्षित करेगा तथा निदेशात्मक प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्ध स्थापित कर आरटीई से सम्बन्धित समस्त कार्यों का निष्पादन करेगा।

1
6- विविध

21/8/13

(डॉ० बीना प्रधान)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

दिनांक- 21.8.13

कृपया निदेशात्मक/माध्यमिक/आरटीई/प्रकोष्ठ/2013/105 प्रतिनिधि सुपुनर्ग एवं पालनाधर :-

1. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. आयुक्ता, सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा संकुल, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, प्राथमिक शिक्षा (पुन-5) विभाग, जयपुर।
4. राज्य परिषद् निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान शिक्षा संकुल, जयपुर को प्रेषित कर लेख ई कि वे आर.टी. ई. प्रकोष्ठ को संसाधन उपलब्ध करावें।
5. निदेशक प्राथमिक शिक्षा, बीकानेर।
6. अतिरिक्त परिषद् निदेशक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जयपुर।
7. निजी अनुभाग निदेशक कार्यालय राजा।
8. निजी अनुभाग, अतिरिक्त निदेशक कार्यालय राजा।
9. निदेशक एस.आई.ई.आर.टी. उदयपुर।
10. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) कार्यालय राजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु तथा नये कम्प्यूटर क्रय पर कम्प्यूटर मय प्रिन्टर तथा नेट कनेक्शन की व्यवस्था तत्काल करवाने हेतु निर्देश दिये जाते हैं।
11. उप निदेशक (प्रशासन) कार्यालय राजा को प्रेषित कर निर्देश दिया जाता है कि वे नपगत आर.टी.ई. प्रकोष्ठ को तत्काल प्रभाव से फर्नीचर, कम्प्यूटर मय प्रिन्टर (5+1) एवं कम्प्यूटर में एक लिपिक/सूचना सहायक प्रकोष्ठ को उपलब्ध करावें। तथा इनकी बैठक व्यवस्था वर्तमान में संघर्षित सुपुनर्ग प्रकोष्ठ के कक्ष में करने की व्यवस्था करें।
12. समस्त ग्रुप अधिकारी / अनुभाग अधिकारी कार्यालय राजा।
13. समस्त उप निदेशक (माध्यमिक)/समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) प्रथम/द्वितीय।
14. प्रधानाचार्य, राज्यक्रीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, बीकानेर/जयपुर।
15. प्रधानाचार्य, राजकीय शार्दूल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर।
16. व्यवस्थापक, गुणानक संस्थान, जयपुर।
17. रक्षित पत्रावली।

21/8/13

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग

क्र. सं. 9(1)/शि-5/10 पार्ट/

दिनांक: 24-9-2013

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

विषय: माध्यमिक शिक्षा सेट अप में आरटीई अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि राज्य में आरटीई अधिनियम, 2009, 01 अप्रैल, 2010 से क्रियान्वित हो चुका है। अधिनियम के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में माध्यमिक सेट अप के विद्यालयों में कठिनाई अनुभव की जा रही है। अतः इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निम्न व्यवस्था अविलम्ब स्थापित करने की कार्यवाही करे :-

1. निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर में उप निदेशक स्तर के अधिकारी के निर्देशन में एक आरटीई प्रकोष्ठ का गठन करे तथा इस प्रकोष्ठ को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे।
2. समस्त उप निदेशक, मा.शि. कार्यालयों में पदस्थापित उप निदेशक, (फनिष्ठ) को आरटीई अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए प्रभारी अधिकारी घोषित कर आरटीई प्रकोष्ठ का गठन करे तथा इस प्रकोष्ठ को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मा.शि. कार्यालयों में पदस्थापित शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारियों को आरटीई अधिनियम क्रियान्वयन के लिए प्रभारी अधिकारी घोषित करे तथा उन्हें आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारी को प्रदान करे।

इस पत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

— sd —

प्रमुख शासन सचिव
स्कूल शिक्षा विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय शिक्षा मंत्री, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, प्राशिक्ष, जयपुर।

संयुक्त शासन सचिव
प्रारंभिक शिक्षा (ग्रुप-5)